न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र
आर.टी.एस.

मु.न. 48 / 2022

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी महरादासी
बनाम
अमीलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी बाजीदसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
–– अप्रार्थी

––

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

––

आदेश

दिनांक 25.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का महरादासी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम बाजीदसर के भूमि ख0न0 123 रकबा 1.67 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.06 हैक्टर भूमि पर अमीलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी बाजीदसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं ने पुख्ता मकान व पड़त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायल को नोटिस बाद तामिल प्राप्त । गैरसायल उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह / जोहड़ पर अतिक्रमण नही कर सकता है। चूंकि भूमि गैर मुमकिन चारागाह हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा उक्त अतिकमित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायलान को वादगस्त आराजी भूमि ख0न0 123 रकबा 1.67 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.06 हैक्टर से अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारीत किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगाान का 50 गुणा से 18 / –रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावें। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी कराई जावें। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि गै.मु. चारागाह पर पुख्ता मकान व पड़त को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायलय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
तहसीलदार मंडावा
तहसीलदार मण्डावा
जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.10.25 17:11:45 IST
Reason: SelfAttested

...4 के पृष्ठ संख्या ... पर
...18... रू वर्ष ... में मांग कायम
... गयी।

तहसील राजस्व लेखाकार